नमुना-१

## खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस

उपविभागीय अधिकारी चांदूर रेल्वे यांचे कार्यालय,
पत्ता :- चांदूर रेल्वे,
दिनांक : २१।०७।२०१७

क्रमांक : स.ख.प्र.क्र. १२।४७।२०१७-१७ मौजा- लोहगाव

ज्या अर्थी, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गाचे (नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाचे) बांधकाम या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण - ०३/२०१५/प्र.क्र.३४/अ-२, दिनांक १२ मे, २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५ मधील तरतुदीस अनुसुरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे;

आणि ज्या अर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश क्रमांक अका/विभूसअ(अवप्र)क्र.2/कावि-450/17 दिनांक 06/04/2017 अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे, २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५ आणि तदनुषंगिक शासन निर्णय, तसेच शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग क्र. एलक्यूएन-०१/२०१७/प्र.क्र.१२/अ-२,दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत;

त्या अर्थी, आता

१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी, श्री. ललीतकुमार वऱ्हाडे, उपविभागीय अधिकारी, चांदूर रेल्वे याद्वारे,

(एक) अनुसूची - एक मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे; आणि

(दोन) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व शेड्यूल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधीत जमिनीसाठी परीगणित होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५% रक्कम वाढीव देऊन, मोबदला निश्चित करण्यात येईल.

(तीन) संबधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरीत्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे (विकल्प) मागवीत आहे.

२. संबंधीत भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प) उपविभागीय अधिकारी, चांदूर रेल्वे / कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांचेकडे दाखल करावीत.

३. संमातीपात्राचा (विकल्प) विहित नमुना उपविभागीय अधिकारी, चांदूर रेल्वे / कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकारी) यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल.

४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उपविभागीय अधिकारी, चांदूर रेल्वे यांच्या कार्यालयामध्ये / मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ महामंडळ, "साईछाया" पहिला माळा, भारतीय स्टेट बँकेजवळ, साई नगर, अमरावती - 444607 प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे.

सदरील जमिनीमध्ये जर कोणास/काणत्याही व्यक्तीस, संस्थेस, बँकेस, पतसंस्थेस वा अन्य कोणासही सदरील मालमत्तेत काही हितसंबंध असतील किंवा हस्तांतरणाचा करार, मदार, गहाणखत, भाडेपटटा, अधिकारपत्र, वारसा हक्क, पोटगी हक्क वा कोणत्याही प्रकारचा ताबा, मालकी बाबतचा हक्क, उजर असेल तर हे जाहीर प्रगटन प्रसिध्द झाल्यापासून सात (7) दिवसाचे आत आवश्यक दस्तावेजासह लिखित उजर दाखल करुन पोच घ्यावी. जर कोणाचा उजर आला नाही तर प्रस्तावीत खरेदीखत केल्या जाईल. त्यानंतर येणाऱ्या उजरास खरेदी देणार व घेणार हे जबाबदार राहणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

## अनुसूची-एक

## खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशील

मौजा :- लोहगांव, तालुका :- नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा :- अमरावती

| अ. क्र. | गावाचे नाव | भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक | क्षेत्र (हे. आर.) |
|---|---|---|---|
| १ | लोहगांव | १८/१ | ३.०८ |
| २ | लोहगांव | १८/२ | |
| ३ | लोहगांव | २३/१ | ०.३४ |
| ४ | लोहगांव | २३/१/अ | ०.४५ |
| | | | ०.७१ |
| ५ | लोहगांव | २३/१/ब | ०.९५ |
| | | | ०.५८ |
| ६ | लोहगांव | २३/१/क | ०.५६ |
| ७ | लोहगांव | २३/२ | ०.७४ |
| ८ | लोहगांव | १९/२ | ०.१६ |
| ९ | लोहगांव | २२/१ | ०.०३ |
| १० | लोहगांव | २२/२ | ०.३९ |
| ११ | लोहगांव | २२/२/अ | ०.८२ |
| १२ | लोहगांव | ३१/१ | ०.४७ |
| | | | ०.५७ |
| | | | ०.३४ |
| १३ | लोहगांव | ३१/२ | ०.४१ |
| १४ | लोहगांव | ३१/३ | ०.०१ |
| १५ | लोहगांव | ६०/१ | ०.५३ |
| १६ | लोहगांव | ६०/१/ब | ०.८७ |
| १८<br>१९ | लोहगांव | ६०/२ | ०.२४ |
| २० | लोहगांव | ६०/२/अ | ०.७८ |
| | | | ०.२९ |
| २१ | लोहगांव | ६२/२ | ०.३९ |
| | लोहगांव | ६८/१ | ०.२३ |
| २२ | लोहगांव | ६८/२ | ०.७३ |
| २३ | लोहगांव | ६८/३ | ०.७९ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | १.०५ |
| २४ | लोहगांव | ६८/४ | ०.५४ |
| २५ | लोहगांव | ६८/५ | ०.२३ |
| २६ | लोहगांव | ६८/६ | ०.०७ |
| २७ | लोहगांव | ६९/१/अ | ०.२० |
| २८ | लोहगांव | ६९/२ | १.२८ |
| २९ | लोहगांव | ६९/२/अ | ०.७१ |
| ३० | लोहगांव | ६५/२ | ०.२३ |
| ३१ | लोहगांव | ७० | ०.७३ |
| ३२ | लोहगांव | ९३/१ | १.३१ |
| ३३ | लोहगांव | ९५/२/क | ०.४२ |
| ३४ | लोहगांव | ९५/२/ब | १.०२ |
| ३५ | लोहगांव | ९६/२ | ०.३५ |
| ३६ | लोहगांव | ९४/१ | ०.९२ |
| | | | ०.७० |
| ३७ | लोहगांव | ९४/२ | ०.०१ |
| ३८ | लोहगांव | ९४/४ | ०.१५ |
| ३९ | लोहगांव | ८८/१/अ | ०.०१ |
| ४० | लोहगांव | ८८/१ | ०.५१ |
| ४१ | लोहगांव | ९८/१ | ०.४९ |
| ४२ | लोहगांव | ९८/१/अ | ०.७४ |
| ४३ | लोहगांव | ९८/१/ब | ०.३५ |
| ४४ | लोहगांव | ९८/२ | १.५४ |
| ४५ | लोहगांव | ९९/१ | ०.०६ |
| ४६ | लोहगांव | ८७ | २.७३ |
| | | | ०.८७ |
| | | | ०.८७ |
| ४७ | लोहगांव | ८६ | ०.०२ |
| एकुण क्षेत्र | | | ३३.५७ |

दिनांक : २१|०४|२०१८

ठिकाण : चांदूर रेल्वे

सक्षम अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी,
चांदूर रेल्वे, जिल्हा अमरावती